निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट

## असाधारण अंक

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**30 आषाढ़ 1937 (श0)**

**(सं0 पटना 837) पटना, मंगलवार, 21 जुलाई 2015**

**वाणिज्य–कर विभाग**

**अधिसूचनाएं**

**21 जुलाई 2015**

एस०ओ० 169, दिनांक 21 जुलाई 2015—बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा 9 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।** – (1) यह नियमावली बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) नियमावली, 2015 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

**संशोधन**

**2. बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के नियम 2 में संशोधन**– (1) बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के नियम 2 के उप–नियम (1) में प्रयुक्त शब्द ''अध्यादेश'' को शब्द ''अधिनियम'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(2) बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के नियम 2 के उप–नियम (2) में प्रयुक्त शब्द समूह ''बिहार वित्त अधिनियम 1981 (बिहार अधिनियम 5, 1981) के भाग–1 की धारा–9 की उप–धारा (1)'' को शब्द समूह''बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा–10 की उप–धारा (1)'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(3) बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के नियम 2 का उपनियम (8) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :–

''(8) अधिनियम से अभिप्रेत है बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग व्यवहार अथवा बिक्री के लिए माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 16, 1993)''

(4) बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के नियम 2 के उप–नियम (12) में प्रयुक्त शब्द ''अध्यादेश'' को शब्द ''अधिनियम'' के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(5) बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के नियम 2 के उप–नियम (15) में प्रयुक्त शब्द समूह ''अध्यादेश और बिक्री कर नियमावली, 1983'' को शब्द समूह ''अधिनियम और बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

**3. बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के नियम 3 में संशोधन**–(1) बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के नियम 3 का उप–नियम (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थपित किया जायेगा, यथा :–

''(1) ऐसा हरेक व्यापारी जो अधिनियम के अधीन कर भुगतान करने का दायी हो, अधिनियम के अधीन कर भुगतान करने के दायी होने के सात दिनों के भीतर अंचल के प्रभारी उपायुक्त/सहायक आयुक्त/वाणिज्य–पदाधिकारी के समक्ष हरेक व्यापार स्थल के निबंधन के लिए पृथक रूप से आवेदन करेगा।''

(2) बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के नियम 3 का उप–नियम (5) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :–

''(5) उक्त प्राधिकारी प्रत्येक निबंधन प्रमाण–पत्र को एक निबंधन संख्या आवंटित करेगा''

(3) बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के नियम 3 का उप–नियम (6) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :–

''(6) तत्समय प्रवृत बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली 2005 के सुसंगत नियम आवश्यक परिवर्त्तन सहित, स्वामित्व या कारोबार संस्थापित करने में किसी तरह के परिवर्त्तन करने, कारोबार के नाम से और तरीके में परिवर्त्तन लाने कारोबार के स्थान में परिवर्त्तन करने या इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान के दायित्व के लिए सुसंगत दृष्टि से किसी अन्य सामग्री में परिवर्तन और उप–नियम (3) के अधीन स्वीकृत निबंधन प्रमाण–पत्र के खो जाने या विकृत हो जाने नवीकरण और रद्दीकरण में किसी तरह के परिवर्तन करने की आवश्यकता स्वरूप संशोधन संबंधी मामलों में लागू होंगे।''

(4) बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के नियम 3 के उपनियम (6) के बाद क्रमशः निम्नलिखित नये उप–नियम (7) और (8) जोड़े जाएंगे, यथा :–

''(7) प्रत्येक व्यक्ति या व्यवसायी जो ई कॉमर्स अथवा अन्यथा के माध्यम से अधिसूचित वस्तु के आपूर्त्ति या सुपूर्दगी के व्यवसाय में लगे हों, तथा अधिनियम की धारा 3कक के अधीन कर संग्रह तथा भुगतान करने का दायी हों, अधिनियम की धारा 3कक के अधीन कर संग्रह तथा कर भुगतान करने के दायी होने के सात दिनों के भीतर अंचल के प्रभारी उपायुक्त/सहायक आयुक्त/वाणिज्य–कर पदाधिकारी के समक्ष प्रपत्र प्र०क०-IA में निबंधन हेतु आवेदन करेगा। धारा 3कक की उप–धारा (9) के अधीन निबंधन प्रमाण–पत्र प्रपत्र प्र०क०-IIA में निर्गत किया जाएगा :

परन्तु वैसे व्यक्ति या व्यवसायी, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व से व्यवसाय करते आ रहे हैं, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के 30 दिनों के भीतर आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

(8) उप–नियम (2) के खण्ड (क), खण्ड (ख), उप–नियम (3), उप–नियम (4), उप–नियम (5) और उप–नियम (6) के बाकी सभी अन्य प्रावधान, आवश्यक परिवर्तन सहित, उप–नियम (7) के अधीन दिये गये आवेदन पर लागू होंगे।

**4. बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के नियम 4 में संशोधन।**– (1) बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के नियम 4 का उप–नियम (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :–

''(1) इस अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2) के अधीन कर भुगतान करने वाला प्रत्येक निबंधित व्यापारी या कोई अन्य व्यक्ति संबधित माह के अगले माह की अंतिम तिथि को या उससे पहले प्रपत्र प्र० क० III में मालों के मासिक आयात का सार, प्रपत्र प्र० क० IV में प्रत्येक तिमाही की सही एवं पूर्ण विवरणी और सभी अनुसूचित मालों के आयात तथा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 (बिहार अधिनियम 27, 2005) के उपबंधों के अनुसार उस पर भुगतेय कर के संबंध में और इस निमित्त उसके अधीन, बनी नियमावली में यथा विहित रीति से प्रत्येक वर्ष की वार्षिक विवरण भी प्रपत्र प्र० क० V में प्रस्तुत करेगा।

(2) बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के नियम 4 के उप–नियम (2) के खंड (क) में प्रयुक्त शब्द ''अध्यादेश '' को शब्द ''अधिनियम'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(3) बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के नियम 4 के उप–नियम (4) के बाद निम्नलिखित नया उप–नियम (5) जोड़ा जाएगा, यथा :–

''(5) अभिलेख का प्रभारी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि माँग, वसूली, बकाया की पूर्ण सूचना, पंजी के प्रपत्र प्र० क०- XVIII में प्रविष्ट कर दी गयी है।''

**5. बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के नियम 4क में संशोधन।**– (1) बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के नियम 4क में प्रयुक्त शब्द समूह ''बिहार मूल्य वर्द्धित कर अध्यादेश, 2005, इस अध्यादेश के अन्तर्गत उसका कर

दायित्व'' को शब्द समूह ''बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005, इस अधिनियम के अधीन उसका कर दायित्व'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(2) बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के नियम 4क के तृतीय परंतुक में प्रयुक्त शब्द समूह ''बिहार मूल्य वर्द्धित कर अध्यादेश, 2005'' को शब्द समूह ''बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

**6. बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 में एक नया नियम 4कक का अंतःस्थापन।**— बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के नियम ''4क'' के बाद निम्नलिखित एक नया नियम ''4कक'' अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा—

**''4कक अधिसूचित मालों के डिलीभरी अथवा इसके पूर्व, क्रेता अथवा आयातक से प्रवेश कर की वसूली**— (1) धारा 3कक की उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रवेश कर की वसूली अधिनियम की धारा–3 की उप–धारा धारा (1) के अधीन वस्तुओं के लिए अधिसूचित दर पर की जायेगीः

परन्तु अधिनियम की धारा–6 के अधीन विमुक्त वस्तुओं या सम्व्यवहारों पर प्रवेश कर की कोई वसूली नहीं की जायेगी।

(2) (i) धारा 3कक की उप–धारा (1) के अधीन ऐसे संग्रह करने वाले एवं इसके जमा के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या व्यवसायी इस राशि को संबंधित माह के अगले माह की 15 तारीख तक या तो चालान प्रपत्र प्र०क०-VI के माध्यम से अभिहित बैंक में ऑनलाईन जमा करेंगे या चालान प्रपत्र प्र०क०-VI संबंधित अंचल प्रभारी के पक्ष में निर्गत रेखांकित चेक या रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के साथ संबंधित अंचल प्रभारी को अग्रेसित करेंगे।

स्पष्टीकरण :– अभिव्यक्ति ''संबंधित अंचल–प्रभारी'' से अभिप्रेत है –

(क) बिहार राज्य के भीतर उस अंचल का अंचल प्रभारी जिसकी अधिकारिता के भीतर संग्रह करने वाले व्यक्ति या व्यवसायी का कार्यालय अवस्थित हो;

(ख) बिहार राज्य के बाहर अवस्थित संग्रह करने वाले वैसे व्यक्ति या व्यवसायी, के कार्यालय के मामले में इस निमित्त आयुक्त द्वारा विषेष रूप से अधिकृत अंचल कार्यालय का अंचल–प्रभारी।

(ii) जहाँ चेक या ड्राफ्ट भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या इस निमित्त अधिकृत बैंक शाखा से भिन्न किसी अन्य बैंक के नाम हो तो उसमें वास्तविक संग्रहण प्रभार के बराबर अतिरिक्त रकम भी शामिल होगी।

(iii) उप–खंड (i) में वर्णित चेक या ड्राफ्ट प्राप्त होने पर संबंधित अंचल प्रभारी इसे, यथास्थिति, संबंधित कोषागार या बैंक, में जमा करेगा।

(3) (i) संग्रह करने वाले व्यक्ति या व्यवसायी संबंधित माह के अगले माह की अंतिम तिथि को या इससे पूर्व प्रपत्र प्र०क०-XIII में एक मासिक विवरण दाखिल करेगा। वह प्रपत्र प्र०क० -XIV में प्रत्येक तिमाही की सही एवं पूर्ण विवरणी और सभी अनुसूचित मालों के आयात तथा बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) के उपबंधों के अनुसार भुगतेय कर के संबंध में और इस निमित्त इसके अधीन बनी नियमावली में यथा विहित रीति से प्रत्येक वर्ष की वार्षिक विवरणी भी प्रपत्र प्र०क०-XV में दाखिल करेगा।

(ii) धारा 3कक की उप–धारा (i) के अनुसार कर–संग्रह करने वाला प्रत्येक व्यक्ति या व्यवसायी मालों के आपूर्त्ति या परिदान के समय क्रेता अथवा आयातक, जिससे ऐसा संग्रह किया गया हो, को एक प्रमाण–पत्र प्रपत्र प्र०क०- XVI में निर्गत करेगा और पूर्ण और सही रूप से ऐसे सभी ब्यौरे देगा जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया गया है।

(iii) खंड (ii) में उल्लेखित प्रमाण–पत्र तीन प्रतियों में होगा।

(iv) प्रमाण–पत्र की ''मूल'' चिन्हित भाग क्रेता अथवा आयातक, जिसके विपत्रों से संग्रह किया गया है, को हस्तगत किया जायेगा।

(v) प्रमाण–पत्र का ''द्वितीयक'' चिन्हित भाग को प्रमाण–पत्र निर्गतकर्ता द्वारा रख लिया जायेगा एवं आवश्यकतानुसार माँगे जाने पर विहित प्राधिकारी के समक्ष, जैसे ही और जब उनके द्वारा अपेक्षा की जाय, प्रस्तुत करेगा।

(vi) प्रमाण–पत्र का ''तृतीयक'' भाग को प्रमाण–पत्र निर्गतकर्ता द्वारा रख लिया जायेगा।

(vii) धारा 3कक की उप–धारा (8) के प्रयोजनार्थ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के किसी भी प्रणाली अथवा अन्य माध्यम से राज्य के भीतर किसी भी क्रेता अथवा आयातक को अनुसूचित मालों की आपूर्त्ति या परिदान के व्यवसाय में लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति प्रपत्र प्र०क० -XVII में एक पंजी संधारित करेगा।

(4) धारा 3कक की उप–धारा (1) के प्रावधानों के अनुरूप किया गया कोई संग्रहण एवं यथास्थिति सरकारी कोषागार अथवा बैंक में जमा ऐसी राशि, आयातक अथवा क्रेता जिसके विपत्रों से ऐसा संग्रहण किया गया है, की ओर से इस हद तक कर– भुगतान मानी जाएगी।

**7. बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के नियम 5 में संशोधन।**— बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 में नियम 5 के उपनियम (1) में प्रयुक्त शब्द ''अध्यादेश'' को शब्द ''अधिनियम'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

**8. बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के नियम 6 में संशोधन।**— बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 में नियम 6 के उपनियम (1) में प्रयुक्त शब्द ''अध्यादेश'' को शब्द ''अधिनियम'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

**9. बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के नियम 8 में संशोधन।**—(1) बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 में नियम 8 के उपनियम (1) में प्रयुक्त शब्द ''अध्यादेश'' को शब्द ''अधिनियम'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(2) बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के नियम 6 में प्रयुक्त शब्द समूह ''बिहार वित्त अधिनियम, 1981'' को शब्द समूह ''बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

**10. बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के नियम 9 में संशोधन।**— (1) बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 में नियम 9 में प्रयुक्त शब्द—समूह ''बिहार बिक्री कर नियमावली, 1983'' को शब्द—समूह ''बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(2) बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के नियम 9 में प्रयुक्त शब्द ''अध्यादेश'' को शब्द ''अधिनियम'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

**11. बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के अधीन विहित प्रपत्र प्र0क0-I, प्र0क0-II, प्र0क0-III, प्र0क0-VI, प्र0क0-VII, प्र0क0-VIII, प्र0क0-IX, और प्र0क0-X में संशोधन।**— (1) बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 में विहित प्रपत्र प्र0क0-I, प्र0क0-II, प्र0क0-III, प्र0क0-VI, प्र0क0-VII, प्र0क0-VIII, प्र0क0-IX, और प्र0क0-X में प्रयुक्त शब्द ''अध्यादेश'' शब्द ''अधिनियम'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(2) बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 में विहित फॉर्म प्र0क0-IX में प्रयुक्त शब्द समूह ''बिहार अध्यादेश सं 11, 1993'' को शब्द समूह ''बिहार अधिनियम 16, 1993'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(3) बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 में विहित फॉर्म प्र0क0-I और प्र0क0-X में प्रयुक्त शब्द समूह ''बिहार वित्त अधिनियम, 1981 ''शब्द समूह ''बिहार मूल्य बर्द्धित कर अधिनियम, 2005'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

**12. बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के साथ संलग्न प्रपत्र प्र0क0-IV, प्र0क0-V एवं प्र0क0-XII का प्रतिस्थान।**—

(1) बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के साथ संलग्न प्रपत्र प्र0क0-IV को निम्नलिखित प्रपत्र प्र0क0-IV द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा—

**प्रपत्र प्र० क०— IV**

..... तिमाही के लिये त्रैमासिक विवरणी

(बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिये माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 के अधीन आयातक व्यापारी द्वारा भुगतेय कर की विवरणी।)

**[(देखें नियम–4(1)]**

1. निबंधन संख्या :
2. आयातक व्यापारी का नाम तथा डाक का पता :
3. कारबार का नाम तथा उसके स्थित होने का स्थान :

**भाग— क**

1. सभी आयातित/प्राप्त/खरीदे गये वस्तुओं का कुल मुल्य –
2. घटायें –

(क) अनुसूचित वस्तुओं के अलावे आयातित/प्राप्त/खरीदे गये अन्य वस्तुओं का कुल मूल्य –

(ख) प्राप्त/खरीदे गये अनुसूचित वस्तुओं का कुल मूल्य जिनका निर्माण/उत्पादन स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत ही किया गया है –

(ग) शेष अनुसूचित वस्तुओं का कुल मूल्य जिस पर कर देय है –

3. घटाये– अन्य स्थानीय क्षेत्रों से आयातित अनुसूचित वस्तुओं का कुल मूल्य जिस पर प्रवेश के प्रथम बिन्दु पर कर चुका दिया गया है –
4. शेष अनुसूचित वस्तुओं का कुल मूल्य जिस पर कर देय है –
5. कर देयता का विस्तृत विवरण :–

| क्र० सं० | वस्तु का नाम | आयात मूल्य | कर का दर | देय कर की राशि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **कुल** | | | | | |

**भाग–ख**

(अनुसूचित मालों के निपटान का विस्तृत विवरण)

(तिमाही में प्राप्त आयातित अथवा खरीदे गये अनुसूचित मालों का निपटान)

(क) (i) उपभोग किया गया रू0 –

(ii) भंडार में शेष रू0 –

(ख) (i) उपयोग किया गया रू0 –

(ii) भंडार में शेष रू0 –

(ग) (i) बिक्री किया गया रू0 –

(ii) भंडार में बिक्री के लिये शेष रू0 –

(iii) उप कंडिका (i) में दर्शाये गये बिक्री से संबंधित बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत दाखिल त्रैमासिक विवरणी के साथ अदा किये गये कर का ट्रेजरी चलान संख्या..... दिनांक..... ..... रकम.....

(iv) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनिमय, 2005 के अन्तर्गत बिक्री कर की देयता में कमी का दावा से संबंधित रकम, यदि कोई हो तो रूपया .....

**भाग– ग**

1. देय प्रवेश कर की स्वीकृत कुल रकम – रू0.....
2. प्रवेश कर की भुगतान की गयी रकम – रू0.....(चलान की प्रति संलग्न करें)

| **क्र० सं०** | **ट्रेजरी चलान सं0** | **दिनांक** | **राशि** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

आयातक व्यापारी अथवा उसके घोषित प्रबंधक का हस्ताक्षर

स्थान–
तिथि–

टिप्पणी – अनुलग्नक

(1) विवरणी में वर्णित कोषागार चलान की प्रति।

(2) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कर की देयता से अनुसूचित मालों पर अदा किये गये प्रवेष कर की कमी के दावा का विवरण (प्रपत्र प्र0 क0 X में)

(3) बिहार स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के प्रथम बिन्दु पर अदा किये गये प्रवेश कर का दावा का विवरण (प्रपत्र प्र०क० XI में)

(2) बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के साथ संलग्न प्रपत्र प्र0क0-V को निम्नलिखित प्रपत्र प्र0क0-V द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा–

**प्रपत्र– प्र0 क0– V**

वर्ष ..... के लिए वार्षिक विवरणी

(बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिये माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 1993 के अधीन आयातक व्यापारी द्वारा भुगतेय कर की विवरणी)।

[(देखें नियम–4(1)]

1. निबंधन संख्या.....
2. आयातक व्यापारी का नाम तथा डाक का पता .....
3. कारबार का नाम तथा उसके स्थित होने का स्थान .....

**भाग–क**

1. सभी आयातित/प्राप्त/खरीदे गये वस्तुओं का कुल मूल्य –
2. घटायें :–

(क) अनुसूचित वस्तुओं के अलावे आयातित/प्राप्त/खरीदे गये अन्य वस्तुओं का कुल मूल्य :–

(ख) प्राप्त/खरीदे गये अनुसूचित वस्तुओं का कुल मूल्य जिनका निर्माण/उत्पादन स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत ही किया गया है:–

(ग) शेष अनुसूचित वस्तुओं का कुल मूल्य जिस पर कर देय है :–

3. घटायें– अन्य स्थानीय क्षत्रों से आयातित अनुसूचित वस्तुओं का कुल मूल्य जिस पर प्रथम प्रवेश के बिन्दु पर कर चुका दिया गया है :–

4. शेष अनुसूचित वस्तुओं का कुल मूल्य जिन पर कर देय है :–

5. कर देयता का विस्तृत विवरणः–

| क्र० सं० | वस्तु का नाम | आयात मूल्य | कर का दर | देय कर की राशि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| **कुल** | | | | | |

**भाग– ख**

(अनुसूचित मालों के निपटान का विस्तृत विवरण)

(वर्ष में प्राप्त आयातित अथवा खरीदे गये अनुसूचित मालों का निपटान)

(क) (i) उपभोग किया गया रू0 –

(ii) भंडार में शेष रू0 –

(ख) (i) उपयोग किया गया रू0 –

(ii) भंडार में शेष रू0 –

(ग) (i) बिक्री किया गया रू0 –

(ii) भंडार में बिक्री के लिये शेष रू0 –

(iii) उप कंडिका (i) में दर्शाये गये बिक्री से संबंधित बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत दाखिल वार्षिक विवरणी के साथ अदा किये गये कर का ट्रेजरी चलान संख्या.....दिनांक..... रकम.....
.....

(iv) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत बिक्री कर की देयता में कमी का दावा से संबंधित रकम, रू0 .....

**भाग – ग**

1. देय प्रवेश कर की स्वीकृत कुल रकम – रू0.....
2. प्रवेश कर की भुगतान की गयी रकम – रू0..... (चलान की प्रति संलग्न करें)

| **क्रम सं०** | **ट्रेजरी चलान सं0** | **दिनांक** | **राशि** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

आयातक व्यापारी अथवा उसके घोषित प्रबंधक का हस्ताक्षर

स्थान–

तिथि–

टिप्पणी – अनुलग्नक

(1) विवरणी में वर्णित कोषागार चलान की प्रति।

(2) बिहार मूल्य वर्द्धित अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कर की देयता से अनुसूचित मालों पर अदा किये गये प्रवेश कर की कमी के दावा संबंधी त्रैमासिक विवरणी के साथ दाखिल प्रपत्र X में विवरण की प्रतियाँ।

(3) बिहार स्थानीय क्षेत्र में प्रवेष के प्रथम बिन्दु पर अदा किये गये प्रवेश कर का दावा का विवरण–प्रपत्र प्र० क०– XI की प्रतियाँ जो तिमाही विवरणी के साथ दाखिल की गयी है।

(3) बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के साथ संलग्न प्रपत्र प्र0क0-XII को निम्नलिखित प्रपत्र प्र0क0-XII द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा–

**प्रपत्र प्र0 क0 XII**

बिहार स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 के अन्तर्गत प्रतिभूति बन्ध–पत्र।

**(देखें नियम 3 (4)(IV))**

इस विलेख द्वारा सभी लोगों को ज्ञात हो कि मैं/हम ..... (पूरा नाम) .....(पूरा पता) बिहार राज्यपाल के प्रति जो बिहार राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हैं (जिन्हें इसमें आगे सरकार के रूप में निर्दिष्ट किया गया है और इस पद के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से आपर्विजत या उसके विरूद्ध न हों, बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 10 के अधीन नियुक्त किसी प्राधिकारी सहित उनके पद के उत्तराधिकारी होंगे) ..... रू0 की राशि (अंक में और उसके बाद शब्द में) जो इसमें आगे उक्त राशि के रूप में निर्दिष्ट है, मांग की जाने पर सरकार को चुकाने के लिये धारिती होता हूँ/होते हैं तथा अपने को सुदृढ़ रूप से आबद्ध करता हूँ/करते हैं, और उक्त राशि का भलीभाँति और सही–सही भुगतान किये जाने के लिये मैं/हम अपने को अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों और विधिक प्रतिनिधियों को इस विलेख के द्वारा आबद्ध करता हूँ/करते हैः

चूंकि उपर्युक्त आबद्ध व्यक्ति/व्यक्तियों के लिये बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिये माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 1993 की धारा 3/3कक द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन कर चुकाना अपेक्षित है तथा उसके लिये उक्त अधिनियम की धारा 5 द्वारा उक्त अनिधियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत (रजिस्टर्ड) होना और उसके अधीन विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण (रजिस्ट्रेषन) प्रमाण–पत्र प्राप्त करना भी अपेक्षित है :

चूँकि बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त आबद्ध व्यक्ति/व्यक्तियों के नियंत्रणाधीन या प्रभाराधीन व्यापार के स्थल/गोदाम/भंडारागार/वेयरहाऊस/गाड़ी/जलयान/मालवाहक के निरीक्षण के दौरान ऐसा माल पाया गया जिसके लिये संतोषजनक लेखा उपर्युक्त आबद्ध व्यक्ति तुरत प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं हों/है :

और चूंकि उपर्युक्त आबद्ध व्यक्ति/व्यक्तियों से वाणिज्य–कर ..... अंचल द्वारा अपेक्षा की गयी है कि वह उक्त राशि की प्रतिभूति दे दें ताकि पाये गये माल के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन उसके/उनके द्वारा देय कर का समुचित भुगतान सुनिश्चित करने वाला लेखा प्रस्तुत किया जा सके तथा कि वह सरकार की ऐसी हानि, व्यय या खर्च की बावत क्षतिपूर्ति करे/ करें, जो पाये गये माल के संबंध में ऐसा उचित लेखा जिससे वह सुनिश्चित हो सके कि अधिनियम के अधीन उपबन्धित रीति से और विहित समय तक कर का भुगतान कर दिया गया है और समुचित लेखा प्रस्तुत करने में उक्त आबद्ध व्यक्ति–व्यक्तियों या उसके/उनके लिये या अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति के कार्यलोप, व्यक्तिक्रम के चूक के चलते सरकार को हानि उठानी पड़े, व्यय उपगत करना पड़े या खर्च चुकाना पड़े।

इसलिये उपरलिखित बंध पत्र की शर्त्त ऐसी है कि उपर्युक्त आबद्ध व्यक्ति, उसके/उनके उत्तराधिकारी, निष्पादन, प्रशासन और विधिक प्रतिनिधि या उसके/उनके लिये अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति उक्त अधिनियम के अधीन उसके/उनके द्वारा देय कर की पूरी रकम उक्त अधिनियम के अधीन विहित नियमावली अथवा बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली के नियम 62 में विहित किसी प्राधिकारी द्वारा ऐसी मांग की जाने पर, जो लिखित रूप में की जायेगी और उक्त अधिनियम द्वारा या उनके अधीन उपबन्धित या विहित रीति से उक्त आबद्ध व्यक्ति/व्यक्तियों, उसके/उनके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों और विहित प्रतिनिधियों अथवा उसके/उनके लिये या अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति पर तामिल की जायेगी, उक्त अधिनियम द्वारा उपबन्धित रीति से या उसके अधीन विहित समय तक चुका देगा/देगें और उस अवधि के दौरान जिसमें उक्त आबद्ध व्यक्ति उक्त अधिनियम के अधीन चुकाने का जिम्मेवार ठहरता हो/ठहराते हों, तत्पश्चात् किसी समय आबद्ध व्यक्ति/व्यक्तियों या उसके/उनके लिये या अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति से किसी कार्यलोप, व्यतिवम, चूक या दिवालियापन के कारण सरकार को हुई/होने वाली/हो सकने वाले किसी या सभी खर्च या व्यय की बावत सरकार को सदा क्षतिपूर्ति करेगा/करेंगे और उसे नुकसान से बचायेगा/बचायेंगे, और उसके बाद यह शून्य और निष्प्रभावी हो जायेगा, अन्यथा यह पूर्णतः प्रवृत्त होगा और रहेगा।

और एतद् द्वारा यह भी करार किया जाता है कि उक्त आबद्ध व्यक्ति–व्यक्तियों की मृत्यु/विभाजन/विच्छेम/विघटन/परिमापन या उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनी नियमावली के अधीन अन्तिम रूप से दायित्व का समापन उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे आशायित व्यापार के निबंधन प्रमाण–पत्र से संबंधित स्थापना और इस प्रकार व्यापार के रजिस्ट्रीकरण (रजिस्ट्रेशन) की दशा में यह बंध–पत्र उक्त अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली अथवा बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली 2005 के नियम 62 में विहित प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी पदाधिकारी के जिम्मे किसी घटना के घटित होने के तारीख से 12 वर्षो तक रहेगा तभी उक्त व्यक्ति–व्यक्तियों द्वारा देय हो सकने वाला कोई कर अथवा उक्त आबद्ध व्यक्ति/व्यक्तियों अथवा उसके/उनके लिये या अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों और विधिक प्रतिनिधियों के किसी कार्य, कार्यलोप व्यतिक्रम, चूक या दिवालियापन के कारण सरकार द्वार उठायी गयी कोई ऐसी हानि या उपगत किया गया कोई ऐसा व्यय या चुकाया गया कोई ऐसा खर्च वसूला जा सके, जिसका पता उक्त आबद्ध व्यक्ति/व्यक्तियों की मृत्यु/विभाजन/विच्छेद/विघटन/परिसमापन या उक्त अधिनियम अथवा उसके अधीन बनी

नियमवली के अधीन अन्तिम रूप से दायित्व के समापन अथवा उक्त अधिनियम के अधीन आशायित व्यापार की स्थापना और उसके रजिस्ट्रीकरण के बाद तक नहीं चला हो।

एतद् द्वारा यह भी करार किया जाता है कि यदि उक्त आबद्ध व्यक्ति निरीक्षण की तारीख से 15 दिनों के भीतर अपने–अपने नियंत्रणाधीन/अपने प्रभाराधीन व्यापार स्थल/गोदाम/भंडारागार/ गाड़ी/जलयान/मालवाहक गाड़ी में पाये गये माल की बावत उचित लेखा प्रस्तुत नहीं करे/करें तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निमित्त नियमावली अथवा बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली 2005 के नियम 62 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा इस आबद्धता (बंध–पत्र) का उपयोग उक्त राशि को वसूलने के लिये जायेगा। परन्तु सदा यथापूर्वोक्त कर, हानि अथवा नुकसान की वसूली के लिये किसी अन्य अधिकार अथवा उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह सरकार पर निर्भर करेगा कि वह इस बंध पत्र के अधीन चुकायी जाने वाली रकम की वसूली भू–राजस्व के बकाये के रूप में कर लें। इसके साक्ष्य स्वरूप उक्त श्री ..... (पूरा नाम) ने आज दिनांक ..... को इस पर अपना हस्ताक्षर किया एवं निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में उक्त नामित व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिया गया–

| हस्ताक्षर | हैसियत |
|---|---|
| 1 ..... | ..... |
| 2 ..... | ..... |

हम ..... एतद्द्वारा उक्त आबद्ध व्यक्ति/व्यक्तियों के लिये अपने को प्रतिभू घोषित करते है और गारंटी देते है कि वह/वे वह सारा करेगा/करेगें और वह सब संपादित करेगा/करेगें, जिसे करने और संपादित करने का जिम्मा उसके/उन्होनें लिया है तथा यदि वह/वे उसमें कार्यलोप या व्यतिक्रम करेगा/करेंगे अथवा असफल होगा/होगें तो हम एतद्द्वारा संयुक्त रूप से और अलग–अलग अपने को आबद्ध करते है, कि बिहार राज्यपाल जो बिहार राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हैं (जिन्हें इसमें आगे सरकार के रूप में निर्दिष्ट बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 के धारा 10 के अधीन नियुक्त किसी प्राधिकारी सहित उनके पद उत्तराधिकारी और समानुदेशित होगें (इससे रू0 ..... की राशि रकम अंक में उसके बाद रकम शब्दों में) (इसमे आगे उक्त राशि के रूप में निर्दिष्ट) जिसके लिये कि उक्त आबद्ध व्यक्ति/व्यक्तियों ने अपने को आबद्ध किया है अथवा कोई अल्पतर राशि जो उक्त अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली अथवा बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली 2005 के नियम 62 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त समझी जायेगी समयदत्त कर लें ताकि कर की कोई ऐसी रकम, जो उक्त आबद्ध व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा चुकायी जाने योग्य हो, किन्तु चुकायी नहीं गयी हो, वसूली की जा सके और उक्त कार्यलोप, व्यतिक्रम या चूक के कारण सरकार द्वारा उठायी जा सकनेवाली कोई हानि उठाया जा सकनेवाला कोई नुकसान उपगत किया जा सकनेवाला कोई व्यय या किया जा सकनेवाला कोई खर्च वसूला जा सके।

हम यह भी करार करते है कि सरकार, अपने किसी अन्य अधिकार अथवा उपदार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हमसे संयुक्त रूप से और अलग अलग उक्त राशि भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर सकेगी।

हम यह भी करार करते है कि हममें से किसी को तब तक इस प्रतिभूत्व को समाप्त करने की स्वतन्त्रता नहीं होगी जबतक कि हममें से कोई उक्त अधिनियम के अधीन निर्मित नियमवावली अथवा बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली के नियम 62 में विहित प्राधिकारी को इस आषय की छः पंचांग मास की पूर्व सूचना नहीं दे दे और छः महीने की उक्त अवधि समाप्त होने तक उक्त आबद्ध व्यक्ति/व्यक्तियों के सभी कार्यो, कार्यलोपों, व्यतिक्रम, चूक तथा दिवालियापन के बावत इस बन्ध–पत्र के अधीन हमारा संयुक्त एवं अलग–अलग दायित्व बना रहेगा।

निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में प्रतिभुओं का हस्ताक्षर :–

| हस्ताक्षर | स्थायी पता |
|---|---|
| 1 ..... | ..... |
| 2 ..... | ..... |

की उपस्थिति में–

| नाम | हस्ताक्षर | स्थायी पता |
|---|---|---|
| 1..... | ..... | ..... |
| 2..... | ..... | ..... |

यह, कारोबार के स्वत्वाधारी द्वारा यदि कोई व्यक्ति विशेष हो, कर्त्ता द्वारा यदि अविभक्त हिन्दू कुटूम्ब हो, फर्म की दशा में प्राधिकृत भागीदार द्वारा साझेदारी फर्म की दशा में प्राधिकृत साझेदार द्वारा, कम्पनी या निगम की दशा में प्रबंध निदेशक, प्रबंध अभिकर्त्ता या प्रधान कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा और सोसाईटी, क्लब संगम, सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में प्रभारी प्रधान कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा तथा ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे अधिनियम अथवा उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अधीन प्रतिभूति देना अपेक्षित हो, हस्ताक्षरित किया जायेगा।

**13. बिहार स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993 में प्र0क0-XII के बाद नये प्रपत्र प्र0क0-Iक, प्र0क0- IIक, प्र0क0-XIII, प्र0क0-XIV, प्र0क0-XV, प्र0क0-XVI, प्र0क0-XVII एवं प्र0क0-XVIII का अंतःस्थापन–**

**(1)** निम्नलिखित एक नया प्रपत्र प्र0क0–I क प्रपत्र प्र0क0–I के बाद अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा–

''प्रपत्र प्र० क०–Ik

बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा 5 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन।

फोटो चिपकाये

[देखें नियम 3 (7)]

कार्यालय..... वाणिज्य–कर ..... अंचल

सेवा में, ..... अंचल.....

मैं, ..... (पूरा नाम), पिता का नाम ..... (पूरा नाम) , बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 1993 की धारा 5 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र की मंजूरी हेतु आवेदन करता हूँ और उस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करता हूँ :–

1. व्यक्ति या व्यवसायी का नाम एवं प्रकार :
2. व्यक्ति या व्यवसायी का स्थायी पता :

(क) ग्राम/नगर :
(ख) मोहल्ला/टोला/सड़क :
(ग) डाकघर :
(घ) थाना :
(ङ) जिला : पिनकोड : राज्य :

3. व्यक्ति या व्यवसायी का वर्त्तमान पता

(क) ग्राम/नगर :
(ख) मोहल्ला/टोला/सड़क :
(ग) डाकघर :
(घ) थाना :
(ङ) जिला : पिनकोड राज्य :

4. व्यक्ति या व्यवसायी की विधिक हैसियत :
5. (यथा–व्यक्ति विशेष/अविभक्त हिन्दु कुटुम्ब/फर्म/निगम/कम्पनी/संगम/सरकारी विभाग/उपक्रम आदि)
6. अतिरिक्त स्थल की विशिष्टियाँ :

(अगर जरूरी हो, अलग से सूची संलग्न)

(क) मुख्य कार्यालय
(ख) शाखा कार्यालय

7. स्थानों की पूरी सूची और स्थिति जहाँ डिलीवरी किए जाने वाले माल भंडारित किए जाने वाले हों––

| क्र० सं० | होल्डिग संख्या | टोला/मोहल्ला/पथ/ ग्राम/नगर/डाकघर/थाना/ि जला | परिसरो के स्वामियों के नाम एवं पता | मालों के नाम जो सामान्यतः वहाँ भंडारित किए जाने हों | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

8. व्यवसायी द्वारा रखे गये किसी एजेन्सी/किसी अन्य क्रय, विक्रय या वितरण एजेन्सी का ब्यौरा (आवश्यकतानुसार सूची अलग से संलग्न करें)
9. कर देयता की तिथि :
10. बैंक/बैकों के नाम (खाता संख्या एवं प्रकार सहित) जिसके द्वारा सामान्यतः संव्यवहार कार्यान्वित किए जाते हों
11. टेलीफोन/फैक्स नं0/ईमेल : .....
12. पैन .....
13. निबंधन, अनुज्ञप्ति, परमिट आदि जो किसी अन्य नियम के अंतर्गत प्रदत्त हो, का विवरण : (आवश्यकतानुसार सूची संलग्न करें)

**सत्यापन**

मै इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में प्रस्तुत विशिष्टियाँ, जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, सही और पूर्ण है।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान– हैसियत

तारीख– स्थायी पता

**प्रमाण–पत्र**

मै, ..... (पूरा नाम) प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर नामित आवेदक द्वारा प्रस्तुत विषिष्टियाँ सही और पूर्ण है और मेरी मौजूदगी में हस्ताक्षर किया जा रहा है।

हस्ताक्षर

स्थान– हैसियत / पदनाम

तारीख– रजिस्ट्रीकरण संख्या

(निबंधित व्यवसायी / ट्रान्सपोर्टर के मामले में)

आवेदन, कारोबार के स्वत्वाधारी द्वारा यदि कोई व्यक्ति विषेष हो, कर्त्ता द्वारा यदि अविभक्त हिन्दू कुटूम्ब हो, फर्म की दशा में प्राधिकृत भागीदार द्वारा साझेदारी फर्म की दशा में प्राधिकृत साझेदार द्वारा, कम्पनी या निगम की दषा में प्रबंध निदेशक, प्रबंध अभिकर्त्ता या प्रधान कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा और सोसाईटी, क्लब संगम, सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में प्रभारी प्रधान कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

प्रमाण–पत्र बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन निबंधित व्यापारी / ट्रांसपोर्टर द्वारा या क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / अंचलाधिकारी द्वारा दिया जायेगा।
सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकार की दशा में ऐसा कोई भी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।''

**(2)** निम्नलिखित एक नया प्रपत्र प्र0क0-IIक प्रपत्र प्र0क0-II के बाद अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा–

**''प्रपत्र प्र० क०–II क**

बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा 5 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र।

[ देखें नियम 3 (7) ]

कार्यालय..... वाणिज्य–कर .....अंचल

प्रमाणित किया जाता है कि व्यक्ति या व्यवसायी, जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी जा रही है, का रजिस्ट्रीकरण बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा 5 के अधीन कर लिया गया है और आवंटित कर दाता पहचान संख्या नीचे दी जाती है–

| | |
|---|---|
| **TIN** | |

2. वह दिनांक–.....के प्रभाव से बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 के अधीन कर संदाय करने का दायी होगा।

3. व्यक्ति या व्यवसायी का नाम एवं प्रकार :

4. व्यक्ति या व्यवसायी का स्थायी पता :

(क) ग्राम / नगर :

(ख) मोहल्ला / टोला / सड़क :

(ग) डाकघर :

(घ) थाना :

(ङ) जिला : पिनकोड : राज्य :

5. व्यक्ति या व्यवसायी का वर्त्तमान पता

(क) ग्राम / नगर :

(ख) मोहल्ला / टोला / सड़क :

(ग) डाकघर :

(घ) थाना :

(ङ) जिला : पिनकोड राज्य :

6. व्यक्ति या व्यवसायी की विधिक हैसियत :

(यथा–व्यक्ति विशेष / अविभक्त हिन्दु कुटुम्ब / फर्म / निगम / कम्पनी / संगम / सरकारी विभाग / उपक्रम आदि)

7. अतिरिक्त स्थल की विशिष्टियाँ :

(क) मुख्य कार्यालय

(ख) शाखा कार्यालय

8. स्थानों की पूरी सूची और स्थिति जहाँ डिलीवरी किए जाने वाले माल भंडारित किए जाने वाले हों––

| क्र० सं० | होल्डिग संख्या | टोला/मोहल्ला/पथ/ ग्राम/नगर/डाकघर/थाना/ जिला | परिसरो के स्वामियों के नाम एवं पता | मालों के नाम जो सामान्यतः वहाँ भंडारित किए जाने हों | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

स्थान–
तारीख–
मुहर–

निर्गतकर्त्ता प्राधिकार का हस्ताक्षर
पदनाम

**(3)** निम्नलिखित नये प्रपत्र प्र0क0- XIII, प्र0क0- XIV, प्र0क0- XV, प्र0क0- XVI, प्र0क0- XVII एवं प्र0क0- XVIII, प्र0क0- XII के बाद क्रमशः जोड़े जाएंगे, यथा–

**''प्रपत्र प्र० क०– XIII**

(बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिये माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा 3कक के अधीन मासिक विवरण)

**[(देखें नियम–4कक(3)(i)]**

1. संग्रह करने वाले व्यक्ति/व्यवसायी का नाम :
2. कारबार का पता
3. व्यक्ति/व्यवसायी का निबंधन संख्या :
4. अवधि (माह का नाम) :

**भाग– क**

5. माह में राज्य के अन्दर आपूर्त्ति या परिदान किये गये सभी मालों का कुल मुल्य –
6. घटायें –

(क) अनुसूचित वस्तुओं के अलावा माह में आपूर्त्ति या परिदान किये गये मालों का कुल मूल्य –
(ख) भाग 'ख' के अनुसार माह में निबंधित व्यवसायियों को आपूर्त्ति या परिदान किये गये अनुसूचित मालों का कुल मूल्य–
(ग) शेष–माह में अनिबंधित व्यवसायियों को आपूर्त्ति या परिदान किये गये अनुसूचित मालों का कुल मूल्य जिस पर कर देय है –

7. कर देयता का विस्तृत विवरण :–

| **क्र० सं०** | **वस्तु का नाम** | **आयात मूल्य** | **कर की दर** | **देय कर की राशि** | **अभ्युक्ति** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **कुल** | | | | | |

8. देय प्रवेश कर की स्वीकृत कुल रकम रू०.....
9. प्रवेश कर की भुगतान की गयी रकम रू०..... (चलान की प्रति संलग्न करें)
10. चलान संख्या एवं दिनांक–

**भाग–ख**

(निबंधित व्यवसायियों को अनुसूचित मालों की आपूर्त्ति या परिदान का विवरण)

| क्र० सं० | क्रेता/आयातक का नाम | वैट टिन | अनुसूचित माल का नाम | कैशमेमो/बिल/इन्वाईस | | आयात मूल्य | प्रपत्र D-IX(सुविधा) की संख्या, यदि कोई हो तो | आपूर्त्ति या परिदान की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | संख्या | दिनांक | | | |
| | | | | | | | | |

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इस सार में एवं इसके साथ दिये गये विवरण जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, सही और पूर्ण है एवं मैं इस विवरण पर हस्ताक्षर तथा दाखिल करने हेतु सक्षम हूँ।

व्यक्ति या व्यवसायी का हस्ताक्षर
हैसियत

स्थान–
तिथि–

**प्रपत्र प्र० क०– XIV**

..... तिमाही के लिये त्रैमासिक विवरणी

(बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिये माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा 3कक के अधीन त्रैमासिक विवरणी।)

**[(देखें नियम–4कक(3)(i)]**

1. संग्रह करने वाले व्यक्ति/व्यवसायी का नाम :
2. कारबार का पता :
3. व्यक्ति/व्यवसायी का निबंधन संख्या :
4. अवधि (त्रैमास का नाम) :

**भाग– क**

5. त्रैमास में राज्य के अन्दर आपूर्त्ति या परिदान किये गये सभी मालों का कुल मुल्य –
6. घटायें –

(क) अनुसूचित वस्तुओं के अलावा त्रैमास में आपूर्त्ति या परिदान किये गये मालों का कुल मूल्य–

(ख) भाग 'ख' के अनुसार त्रैमास में निबंधित व्यवसायियों को आपूर्त्ति या परिदान किये गये अनुसूचित मालों का कुल मूल्य –

(ग) शेष–त्रैमास में अनिबंधित व्यवसायियों को आपूर्त्ति या परिदान किये गये अनुसूचित मालों का कुल मूल्य जिस पर कर देय है –

7. कर देयता का विस्तृत विवरण :–

| क्र० सं० | वस्तु का नाम | आयात मूल्य | कर की दर | देय कर की राषि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| कुल | | | | | |

8. देय प्रवेश कर की स्वीकृत कुल रकम रू०.....
9. प्रवेश कर की भुगतान की गयी रकम रू०..... (चलान की प्रति संलग्न करें)
10. चलान संख्या एवं दिनांक–

**भाग–ख**

(निबंधित व्यवसायियों को अनुसूचित मालों की आपूर्त्ति या परिदान का विवरण)

| क्र० सं० | क्रेता/आयातक का नाम | वैट टिन | अनुसूचित माल का नाम | कैशमेमो/बिल/इन्वाईस | | आयात मूल्य | प्रपत्र D-IX(सुविधा) की संख्या, यदि कोई हो तो | आपूर्त्ति या सुपुर्दगी की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | संख्या | दिनांक | | | |
| | | | | | | | | |

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इस सार में एवं इसके साथ दिये गये विवरण जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, सही और पूर्ण है एवं मैं इस विवरण पर हस्ताक्षर तथा दाखिल करने हेतु सक्षम हूँ।

व्यक्ति या व्यवसायी का हस्ताक्षर

हैसियत

स्थान–

तिथि–

**प्रपत्र प्र० क०– XV**

..... वर्ष के लिये वार्षिक विवरणी

(बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिये माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा 3कक के अधीन वार्षिक विवरणी।)

**[(देखें नियम–4कक(3)(i)]**

1. संग्रह करने वाले व्यक्ति/व्यवसायी का नाम :
2. कारबार का पता :
3. व्यक्ति/व्यवसायी का निबंधन संख्या :
4. अवधि (वित्तीय वर्ष)

**भाग– क**

5. वर्ष में राज्य के अन्दर आपूर्त्ति या परिदान किये गये सभी मालों का कुल मुल्य –
6. घटायें –

(क) अनुसूचित वस्तुओं के अलावा वर्ष में आपूर्त्ति या परिदान किये गये मालों का कुल मूल्य –

(ख) भाग 'ख' के अनुसार वर्ष में निबंधित व्यवसायियों को आपूर्त्ति या परिदान किये गये अनुसूचित मालों का कुल मूल्य–

(ग) शेष–वर्ष में अनिबंधित व्यवसायियों को आपूर्त्ति या परिदान किये गये अनुसूचित मालों का कुल मूल्य जिस पर कर देय है –

7. कर देयता का विस्तृत विवरण :–

| क्र० सं० | वस्तु का नाम | आयात मूल्य | कर की दर | देय कर की राशि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **कुल** | | | | | |

8. देय प्रवेश कर की स्वीकृत कुल रकम रू०.....
9. प्रवेश कर की भुगतान की गयी रकम रू०.....

10. चलान का विवरण–

| **क्र० सं०** | **ट्रेजरी चलान सं0** | **दिनांक** | **राशि** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **कुल** | | | |

**भाग–ख**

(निबंधित व्यवसायियों को अनुसूचित मालों की आपूर्त्ति या परिदान का विवरण)

| क्र० सं० | क्रेता/आयातक का नाम | वैट टिन | अनुसूचित माल का नाम | कैशमेमो/बिल/इन्वाईस | | आयात मूल्य | प्रपत्र D-IX(सुविधा) की संख्या, यदि कोई हो तो | आपूर्त्ति या सुपुर्दगी की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | संख्या | दिनांक | | | |
| | | | | | | | | |

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इस सार में एवं इसके साथ दिये गये विवरण जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, सही और पूर्ण है एवं मैं इस विवरण पर हस्ताक्षर तथा दाखिल करने हेतु सक्षम हूँ।

व्यक्ति या व्यवसायी का हस्ताक्षर
हैसियत

स्थान–
तिथि–

## प्रपत्र प्र० क०– XVI

(बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिये माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा 3कक के अधीन मालों की आपूर्त्ति या परिदान करते समय या इससे पूर्व संग्रह किये गये प्रवेश कर का प्रमाण–पत्र)

**[(देखें नियम–4कक(3)(ii)]**

किताब जिल्द संख्या: .....

मुद्रित क्रमांक संख्या:.....

1. संग्रह करने वाले व्यक्ति/व्यवसायी का नाम एवं पता .....
2. व्यक्ति/व्यवसायी का करदाता पहचान संख्या (टिन) .....
3. अंचल का नाम जहाँ व्यक्ति/व्यवसायी निबंधित हैं .....
4. क्रेता/आयातक का नाम एवं पता जिनसे कर संग्रह किया गया है .....
5. राज्य के बाहर से आयात किये गये अनुसूचित माल का नाम .....
6. इन्वाईस संख्या, दिनांक एवं अनुसूचित माल का मूल्य .....
7. अनुसूचित माल का आयात मूल्य (अधिनियम की धारा–2(e) के

अनुसार आयात मूल्य) .....

8. उपर्युक्त अनुसूचित मालों पर प्रवेश कर की दर .....

9. संग्रहित कर की राशि–

शब्दों

में..... मात्र

**प्रमाण–पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य के बाहर से आयात किये गये अनुसूचित माल के बिल/इन्वाईस पर राशि रू०..... .....(शब्दों में रू०.....) वसूल किया गया है।

स्थान..... जारी करने वाले प्राधिकार का हस्ताक्षर

दिनांक..... पदनाम.....

कार्यालय मुहर

**पंजी प्रपत्र प्र०क०– XVII**

(बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिये माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा 3कक(8) के अधीन रखी जाने वाली पंजी।)

**[(देखें नियम–4कक(3)(vii)]**

व्यक्ति/व्यवसायी का नाम **:** .....

| प्रेषक एवं प्रेषिती | | | | |
|---|---|---|---|---|
| तिथि | प्रेषक का नाम एवं पता | सी.एस.टी. निबंधन संख्या | प्रेषिती का नाम एवं पता | प्रेषिती का करदाता पहचान संख्या(टिन) (यदि कोई हो तो) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| प्रेषण | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| माल के प्रेषण का स्थान | मल का गन्तव्य स्थल | इन्वाईस संख्या | दिनांक | माल का विवरण | माल की मात्रा | माल का मूल्य | भाड़ा | कुल आयात मूल्य | प्रवेश कर का दर | प्रवेश कर की संग्रहित राशि |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| परिदान | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जी.आर. एन/एल. आर. संख्या | जी.आर. एन/एल. आर. दिनांक | डी.-IX/ सी–टैन (सुविधा) (यदि कोई हो तो) | बैंक जिसके माध्यम से सुपुर्दगी हुई | अनुसूचित मालों के सुपुर्दगी की तिथि | सुपुर्दगी लेने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता | किताब सं., क्रमांक एवं निर्गत प्र०क०–XIV की तिथि |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

**प्रपत्र प्र०क०– XVIII**

पृष्ठः–

(बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिये माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 के अधीन रखी जाने वाली माँग, संग्रह एवं बकाया पंजी।)

**[(देखें नियम–4(5)]**

| व्यापार का नाम एवं शैली– | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| निबंधन संख्या– | | वित्तीय वर्ष | | | | (*राशि रू० में*) | |
| | | प्रथम त्रैमास | द्वितीय त्रैमास | तृतीय त्रैमास | चतुर्थ त्रैमास | वार्षिक | अभ्युक्ति (यदि कोई हो तो) |
| अनुसूचित माल का कुल मूल्य जिस पर कर देय है (विवरणी प्र०क०–IV/V की प्रविष्टि–4) | | | | | | | |
| प्रवेश कर की स्वीकृत राशि (विवरणी प्र०क०–IV/V की प्रविष्टि–5) | | | | | | | |
| भुगतान किया गया कर | चलान संख्या | | | | | | |
| | दिनांक | | | | | | |
| | राशि | | | | | | |
| | | | | | | | |
| आरंभ की गयी कार्रवाही (यदि | धारा | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कोई हो तो) | दिनांक | | | | | | |
| निर्धारित कर | | | | | | | |
| माँग–पत्र सूचना | संख्या | | | | | | |
| | दिनांक | | | | | | |
| | माँग की राशि | | | | | | |
| वसूल की गयी राशि | चलान संख्या | | | | | | |
| | दिनांक | | | | | | |
| | राशि | | | | | | |

[(सं०सं० बिक्री–कर/अंकेक्षण–01/2015–**3908**)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
आयुक्त–सह–प्रधान सचिव,
वाणिज्य–कर विभाग।

**21 जुलाई 2015**

एस०ओ० 170, एस०ओ० 169, दिनांक 21 जुलाई 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं० बिक्री–कर/अंकेक्षण–01/2015–**3909**)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
आयुक्त–सह–प्रधान सचिव,
वाणिज्य–कर विभाग।

*The 21st July 2015*

S.O. 169 dated the 21st July 2015—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993 the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993:-

1. **Short title, extent and commencement.-** (1) These Rules may be called the Bihar Tax on Entry of goods into Local Areas (Amendment) Rules, 2015.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come in to force at once.

**2. Amendment in Rule 2 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993.**–

(1) The words "the ordinance" used in sub Rule (1) of Rule 2 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993 shall be substituted by the words "the Act".

(2) The group of words "sub-section (1) of Section 9 of Part I of the Bihar Finance Act, 1981(Bihar Act 5 of 1981)" used in sub Rule (2) of Rule 2 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993 shall be substituted by the group of words "sub section (1) of section 10 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005(Act 27 of 2005)".

(3) Sub-Rule 8 of Rule 2 of the Bihar tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993 shall be substituted by the following, namely—

"(8)The 'Act' means the Bihar tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993 (Bihar Act 16 of 1993)."

(4) The words "the ordinance" used in sub-Rule (12) of Rule 2 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993 shall be substituted by the words "the Act".

(5) The group of words "the ordinance and Sales Tax Rules, 1983" used in sub-Rule (15) of Rule 2 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993 shall be substituted by the group of words "the Act and the Bihar Value Added Tax Rules, 2005."

**3. Amendment in Rule 3 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993.-** (1) Sub-Rule (1) of Rule 3 of the Bihar tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993 shall be substituted by the following, namely—

"(1) Every dealer, who is liable to pay tax under the Act, shall make an application for registration separately in respect of every place of business before the Deputy Commissioner/Assistant Commissioner/Commercial Taxes Officer in-charge of the Circle within seven days of becoming liable to pay tax under the Act."

(2) Sub-rule (*5*) of Rule 3 of the Bihar tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993 shall be substituted by the following, namely—

"(5) The said authority shall assign a registration number to each registration certificate."

(3) Sub-Rule (6) of Rule 3 of the Bihar tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993 shall be substituted by the following, namely—

"(6) The relevant rules of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 in force for the time being shall apply mutatis mutandis in all matters relating to amendment necessitated by any change in the ownership or constitution of business, change in the name and style of business, place of business or any other material change having relevance for the liability to pay tax under this Act and loss or defacement, renewal and cancellation of the registration certificate granted under sub-rule (3).

(4) After sub-rule (6) of Rule 3 of Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993, the following new sub-rule (7) and (8) shall be added respectively, namely:-

*"(7).* Every Person or Dealer, who is engaged in supplying or delivering the scheduled goods through e-commerce or otherwise and liable to collect and pay entry tax under section 3AA of the Act shall apply for registration before the Deputy Commissioner Commercial Taxes/ Assistant Commissioner Commercial Taxes /Commercial Taxes Officer, in-charge of the Circle in form ET-IA within Seven days of becoming liable to collect and pay entry tax under section 3AA.The registration certificate under sub section (9) of section 3AA shall be issued in Form ET-IIA:

Provided that the persons or dealers, who have been doing business prior to the commencement of this Act, shall be eligible to apply within 30 days of the commencement of this Act".

*(8).* Remaining all other provisions of clause (a), clause (b) of sub rule (2), sub rule (3), sub rule (4), sub rule (5) & sub rule (6) shall, mutatis mutandis, apply to an application given under sub rule (7)."

**4. Amendment in Rule 4 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993.-** (1) Sub-Rule 1 of Rule 4 of the Bihar tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993 shall be substituted by the following, namely—

"(1) Every registered dealer or any other person liable to pay tax under sub-section (2) of section 3 of the Act shall furnish an abstract of monthly import of goods in Form ET-III on or before the last day of the month following the month to which it relates, and a true and complete return for each quarter in Form ET IV and also an annual return for each year in Form ET-V in respect of import of all scheduled goods and tax payable thereon in accordance with the provisions of the the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) and in the manner as laid down in the rules made there under in this behalf.

(2) The words "the ordinance" used in Clause (a) of sub rule (2) of Rule 4 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993 shall be substituted by the words "the Act".

(3) After sub rule(4) of Rule 4 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993, the following a new sub rule (5) shall be added, namely:-

"(5) The officer in charge of the record shall ensure that the full information of demand, collection and balance have been entered in Form ET-XVIII of the register.

**5. Amendment in Rule 4A of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993.-** (1) The group of words "the Bihar Value Added Tax ordinance, 2005, his tax liability under the said ordinance" used in Rule 4A of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993 shall be substituted by the group of words "Bihar Value Added Tax Act, 2005, his tax liability under the said Act."

(2) The group of words "the Bihar Value Added Tax ordinance, 2005" used in third proviso of Rule 4A of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993 shall be substituted by the group of words "the Bihar Value Added Tax Act, 2005"

**6. Insertion in a new Rule 4AA in the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993.—** After Rule 4A of Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993, a new Rule 4AA shall be inserted, namely:-

***"4AA.*Collection of entry tax from the buyer or importer at the time of or before delivery of scheduled goods -**

(1) The collection of entry tax specified in sub-section (1) of section 3AA shall be made at the rate notified for the goods under sub section (1) of section 3 of the Act:

Provided that no collection of entry tax shall be made on Goods or transactions exempted under section 6 of the Act.

(2) (i) The person or dealer making such collection under sub-section (1) of section 3AA and responsible for depositing the same, shall deposit this amount either through on line by way of a challan in Form ET-VI through designated bank or shall forward the crossed cheque or a crossed bank draft, drawn in favour of the concerned circle in charge, accompanied by Challans in Form ET-VI in respect of a month by the 15th day of the following month to the concerned Cirlce incharge.

Explanation: The expression "concerned circle in charge" means—

(a) The Circle Incharge of the Circle within whose jurisdiction the office of the person or dealer making the collection is situated within the state of Bihar ;

(b) The Circle Incharge of the Circle specially authorized by the Commissioner in this behalf in case of the office of the person or dealer making the collection being situated outside the state of Bihar.

(ii) Where the cheque or draft is on a bank other than a branch of the Reserve Bank of India or the State Bank of India or the bank specially authorised in this behalf, it shall also include an additional amount equal to the actual collection charges.

(iii) Upon receipt of the cheque or draft mentioned in sub-clause (i) the concerned Circle Incharge shall deposit the same in the concerned Treasury or the Bank, as the case may be.

(3) (i) The person or dealer making the collection shall file a monthly statement in Form ET-XIII on or before the last day of the following month of the month to which it relates. He shall also file a true and complete return for each quarter in Form ET- XIV and also an annual return for each year in Form ET-XV in respect of import of all scheduled goods and tax payable thereon in accordance with the provisions of the the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) and in the manner as laid down in the rules made there under in this behalf.

(ii) Every person collecting tax in accordance with sub-section (1) of section 3AA shall, at the time of supplying or delivering goods, issue to the buyer or importer from whom such collection is made, a certificate in Form ET-XVI and furnish all such details fully and correctly as are specified therein.

(iii) The certificate mentioned in clause (ii) shall be in Triplicate.

(iv) The portions marked "Original" of the certificate shall be handed over to the buyer or importer from whose bills, the collection shall be made.

(v) The portion marked "Duplicate" of the certificate shall be retained by the person issuing this certificate and shall produce before the prescribed authority as and when required by him.

(vi) The "Triplicate" portion shall be retained by the person issuing this certificate.

(vii) For the purpose of sub-section (8) of section 3AA, every person engaged in the business of supplying or delivering Scheduled goods to any buyer or importer within the State through any System of electronic commerce or otherwise shall maintain a register in Form ET-XVII.

(4) Any collection made in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 3AA and the amount deposited in the Government Treasury or the bank, as the case may be, shall be treated, to such extent, as payment of the tax on behalf of the buyer or importer from whom such collection has been made."

**7. Amendment in Rule 5 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993.-** The words "the ordinance" used in sub rule (1) of Rule 5 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993 shall be substituted by the words "the Act".

**8. Amendment in Rule 6 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993-** The words "the ordinance" used in sub rule (1) of Rule 6 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993 shall be substituted by the words "the Act".

**9. Amendment in Rule 8 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993.-** (1) The words "the ordinance" used in sub rule (1) of Rule 8 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993 shall be substituted by the words "the Act".

(2) The group of words "the Bihar Finance Act, 1981" used in sub rule (6) of Rule 8 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993 shall be substituted by the group of words "the Bihar Value Added Tax Act, 2005".

**10. Amendment in Rule 9 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993.-** (1) The group of words "the Bihar Sales Tax Rules, 1983" used in rule 9 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993 shall be substituted by the group of words "the Bihar Value Added Tax Rules, 2005".

(2) The words "the ordinance" used in Rule 9 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993 shall be substituted by the words "the Act".

**11. Amendment in Form ET-I,ET-II,ET-III,ET-VI,ET-VII,ET-VIII,ET-IX and ET-X prescribed under the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993.-** (1) The word "ordinance" used in Form ET-I, ET-II, ET-III, ET-VI, ET-VII, ET-VIII, ET-IX and ET-X prescribed under the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993 shall be substituted by the word "Act"

(2) The group of words "Bihar ordinance No.11 of 1993" used in Form ET-IX prescribed under the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993shall be substituted by the group of words "Bihar Act 16 of 1993"

(3) The group of words "the Bihar Finance Act, 1981" used in Form ET-I and ET-X prescribed under the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993 shall be substituted by the group of words "the Bihar Value Added Tax Act, 2005"

**12. Substitution of Form ET-IV, ET-V and ET-XII appended to the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993.-** (1) Form ET-IV appended to the Bihar Tax of Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993 shall be substituted by by the following form ET-IV, namely,-

**Form ET-IV**

**Quarterly return for the Quarter ending……..**

**Return of tax payable by an importing dealer under section 3 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale therein Act, 1993**

[See rule 4(1)]

1. Registration No. ……
2. Name and Postal Address of the importing dealer ……
3. Style and location of business ……..

Part-A

1. Total value of all goods imported or received or purchased ……
2. Deduct (a) Total value of goods other than Scheduled goods imported, received or purchased …….Rs.
   (b) Total value of Scheduled goods purchased or received which have been manufactured or produced within the local area …… Rs.
   (c) Balance Total value of scheduled goods liable to tax ……..Rs.
3. Deduct- Total value of Scheduled goods imported from other local areas on which tax has been paid at the first point of entry.
4. Balance- Total value of Scheduled goods on which tax is payable …….. Rs.

5. Details of tax payable-

| Sl. No. | Name of goods | Import value | Rate of Tax | Amount of tax payable | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | Total | | | | |

**Part-B**

(Details of the Disposal of Scheduled Goods)

Disposal of Scheduled goods received, imported or purchased during the quarter.

(a) (i) Consumed Rs. ……..
(ii) Balance in stock Rs ……..
(b) (i) Used Rs……
(ii) Balance in stock Rs……
(c) (i) Sold Rs……
(ii) Balance in stock for sale Rs……
(iii) Amount of sales tax paid on sale as shown in sub-item (i) Vide T.C. No. …….dated…… for Rs……. enclosed with quarterly return filed under the Bihar Value Added Tax Act, 2005.

(iv) Amount of liability of sales tax claimed to be reduced under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 if any …….Rs

**Part-C**

1. Total amount of Entry Tax admitted as payableRs.
2. Amount of Entry tax paid (Enclose copy of challan/challans ):-

| S.N. | Treasury Challan no. | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Place
Date

Signature of the importer/dealer
or his declared manager.

Note : Enclose herewith:--

(1) Copy of T.C as mentioned in the return.

(2) Copies of Statements of claims for reduction in the liability to pay sales tax on the scheduled goods under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (in Form E.T.-X with the quarterly returns.

(3) Copies of Statement in Form ET-XI in respect of claims of import of goods on which entry tax is claimed to have been realized at the first point of entry into local area in the State.

(2). Form ET-V appended to the Bihar Tax of Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993 shall be substituted by by the following form ET-V, namely,-

**"FORM E.T.-V**

**Annual return for the year ……**

**(Return of tax payable by an importing dealer under Section 3 of the Bihar Tax on Entry of Goods in Local Areas for Consumption Use or Sale therein Act, 1993)**

**[See Rule 4(1)]**

1. Registration No……. …….
2. Name and postal address of the importing dealer ……..
3. Style and location of Business ……..

**Part-A**

1. Total value of all goods imported or received or purchased ……..Rs.
2. Deduct-
   (a) Total value of goods other than scheduled goods imported, received or purchased, Rs……
   (b) Total value of scheduled goods purchased or received wihich have been manufactured or produced within the local area, Rs…….
   (C) Balance:Total value of scheduled goods liable to tax—Rs……
3. Deduct:- Total value of scheduled goods imported from other local areas on which tax has been paid at the first point of entry,Rs……
4. Balance: Total value of scheduled goods on which tax is payable, Rs……

5. Details of tax payable-

| Sl. No. | Name of goods | Import value | Rate of Tax | Amount of tax payable | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | Total | | | | |

**Part-B**

(Details of the disposal of scheduled goods)

Disposal of scheduled goods received imported or purchased during the year.

(a) (i) Consumed Rs….....

(ii) Balance in stock Rs…….

(b) (i) Used Rs……..

(ii) Balance in stock Rs……..

(c) (i) Sold Rs…….

(ii) Balance in stock for sale Rs……

(iii) Amount of sales tax paid on sale as shown in sub-item (i) as vide T.C. No……..dated…….for Rs……..enclosed with the annual return filed under the Bihar Value Added Tax Act, 2005.

(iv) Amount of liability of sales tax claimed to be reduced under the Bihar Value Added Tax Act, 2005. Rs……

**Part-C**

3. Total amount of Entry Tax admitted as payable Rs.

4. Amount of Entry tax paid (Enclose copy of challan/challans ):-

| S.N. | Treasury Challan no. | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Place

Date

Signature of the importer/dealer
or his declared manager.

Note: (1) Enclose herewith copy of T.C as mentioned in the return.

(2) Copies of statements of claims filed for reduction in the liability to pay sales tax on the scheduled goods under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 in Form ET-X with the quarterly returns.

(3) Copies of statements in Form ET-XI in respect of claims of import of goods on which entry tax in claimed to have been realized at the first point of entry into local area in the State filed with the quarterly returns."

(3). Form ET-XII appended to the Bihar Tax of Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993 shall be substituted by by the following form ET-XII, namely,-

**"FORM E.T.-XII**

**Security bond under the Bihar tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993.**

**[See rule 3(4)(iv)]**

Know all men by these presents that I/We ..... (Full Name) ..... (Full address) ..... am/are held and firmly bound unto the Governor of Bihar exercising the executive power of the Government of the State of Bihar (hereinafter referred to as the Government) which expression shall unless excluded or repugnant to the context include has successors in office and assigns including any authority appointed under section 10 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 in the sum of rupees ..... (amount in figures and followed by amount in words) (hereinafter referred to as the said sum) to be paid to the Government on demand, for which payment will and truely to be made, I/We bind myself/ourself, my/our heirs, executors, administrators and legal representatives by these presents :-

Whereas the above bounden is required by Section 3/3AA of the Bihar Tax on Entry of goods for Consumption, Use and Sale there in into local areas Act, 1993 to pay tax under the said Act and is further required by Section 5 of the said Act to be registered under the said Act and to be in possession of a valid registration certificate thereunder:

Whereas in course of an inspection of the place of business/godown/warehouse/ vehicle / vessel / goods carrier belonging to under the control or under the charge of above bounded by an authority appointed under Section 10 of the Bihar Value Added Tax Act, goods are found for which the above bounden is not in a position to produce satisfactory accounts forthwith.

Whereas the above bounden has been required by the ..... of Commercial Taxes ..... Circle to furnish security for the said sum for the purpose of production of proper accounts in respect of goods and securing the proper payment of the tax payable by him/them under the said Act and indemnifying the Government against all loss, cost or expenses, which the Government may, in any way suffer, sustain or pay by reason or the omission, defeault, or failure of the above bounden or any person or persons acting under or for his/them to produce proper accounts in respect of goods found to pay such tax in the manner and by the time provided by or
prescribed under the said Act.

Now the condition of the above written bound is such that if the above bounden, his/their heirs, executors administrators and legal representatives or any person acting under or for him/them pays the full amount of tax payable by him under the said Act on demand by any authority prescribed in rule 62 of the Bihar Value Added Tax Rules or rule prescribed under the said Act such demand to be in writing and to be served upon the above bounden, his/their heirs, executors, administrators and legal representative or any person acting under or for him/ them in the manner provided by/or prescribed under the said Act and sale also at all times indemnify and save harmless the Government from all and every loss, cost or expense which has been or shall or may at any time or times hereafter during the period in which the above bounden is held liable, to pay tax under the said Act because by reason of any act, omission, default, failure or insolvency of the above bounden or any person or persons acting under or for him/them, then this legal obligation shall be.

And it is hereby further agreed that in the events of the death/partition / disruption / dissolution / winding up or the final cessation of the liability under the Act or the rules prescribed thereunder, the establishment of the intended business to which the certificate of registration, relates and registration of the business so established under the said Act of the above bounden, this bond shall remain with the authority prescribed in the rule 62 of the

Bihar Value Added Tax Rules or rules made under Act or any office duly authorised by him in this behalf for twelve years from the occurring of any of the events aforesaid for recovering any tax that may be payable by the above bounden or any less, cost or expenses, that may have been sustained, incurred or paid by the Government owing to the act, omission, default, failure or insolvency of the above bounden or any person or persons acting under or for his/them or the above boundens heirs, executers, administrators, and legal representatives and which may not have been discovered until after the above boundens death / partition / disruption / dissolution binding up or final cessation of his/their liability under the said Act or the rules prescribed thereunder (the establishment of the intended business and registration thereof under the said Act).

And it is hereby also agreed that in the event of failure of above bounden to produce proper accounts in respect of the goods found in the place or business/godown / warehouse/ vehicle / vessel goods carrier belonging to / under the control or under the charge of the said bounden within the 15 days from the date of such inspection this bond shall be used by the authority prescribed in rule 62 of Bihar Value Added Tax Rules or the rules made under the Act recovering the same:

Provided always that without prejudice to any toher right or remedy for recovering the tax, loss or damage and aforesaid it shall be open to the Government to recover the amount payble under this bond as an arrear of land revenue.

In witness whereof the said .....full name has here unto set his hand this..... day of ..... signed and delivered by the above named in the presence of.

(1)…….....

(2) .....

Signature ……..

Status ……

We ..... hereby declare ourself sureties for the above bounden and guarantee that he/they shall do and perform all that he/they has/have above under taken to do and perform, and in case of his/their omission, default or failure therein, we hereby bind ourself jointly and severally to forfeit to the Governor of Bihar exerciseing the executive power of the Government of the State of Bihar (hereinafter referred to as the Government with expression shall unless excluded by or repugnant to the context include his successors in office and assigns including and authority appointed under section 10 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005. The sum of rupees .....(amount in figures followed by amount in words) (hereinafter referred to as the said sum) in which the above bounden has bound himself or such other lesser sum as shall be deemed to be sufficient by the authority prescribed under rule 62 of the Bihar Value Added Tax Rules or rules framed under the said Act to recover any amount of tax payable by the said Act to recover any amount of tax payable by the above bounden and remaining unpaid and also to recover any loss, damage, cost or expenses which the Government may sustain, incur or pay by reason of such omission, default or failure.

And we agree the Government may without prejudice to any other rights or remedies of the Government, recover the said sum from us, jointly or severally as an arrear of land revenue.

And we also agree that neither of us shall be at liberty to terminate this surety ship except upon giving to the authority prescribed in rule 62 of the Bihar Value Added Tax Rules or rule made under the said Act six calelender months prior notice in writing of his intention so to and our joint and several liability under this bond shall continue in respect of all acts. Omissions, defaults failure and insolvencies on the part of the above bounden until the expiration of the said period of 6 months.

Signature of sureties Permanent address
(1) .....
(2) .....

in presence of
Name Signature Permanent address
(1)……..
(2)……..

This shall be signed by the proprietor of the business if an individual; by the karta if an undivided Hindu family; by an authorised partner in the case of a firm by a Managing Director or Principal Executive Officer in the case of a Company or Corporation; by a principal executive officer in the case of a company or Corporation; by a principal executive officer or officer incharge in the case of a society, club, association, department of Government, or local authority, and by any person required to furnish a security under the provision of the Act or rules made thereunder."

**13. Insertion of new forms ET-IA, ET-IIA, ET-XIII, ET-XIV, ET-XV, ET-XVI, ET-XVII and ET-XVIII after ET-XII in the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas Rules, 1993-**

(1) The following new form ET-IA shall be inserted after Form ET-I, namely, -

**"Form ET-IA**

**Application for Registration certificate under section 5 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale therein Act, 1993**

[See rule 3(7)]

Office of the **.....** of Commercial Taxes
**.....**Circle

To,
The .....
.....
circle.

Affix Photo

I .....(full name), son of ..... (full name) hereby apply for the grant of a registration certificate under section 5, of Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale therein Act, 1993 and furnish following particular for that purpose –

1. Name and style of person or dealer

2. Permanent Address of person or dealer-
(a) Village/Town.
(b) Mohalla/Tola/Road
(c) Post Office Pin Code

(d) Police Station
(e) District. State

3. Present Address of person or dealer-
(a) Village/Town.
(b) Mohalla/Tola/Road
(c) Post Office Pin Code
(d) Police Station
(e) District. State

4. Legal Status of the person or dealer.....
(*Whether individual/ HUF/Firm/ Company/Society/Club/Association/Government department/Corporation/undertaking etc.*)

5. Particulars of additional places-
(*Attach list separately; if necessary*)

(a) Head office
.....
(b) Branch offices
.....

6. Complete list and location of the places where goods for delivery are to be stored-

| Sl. No. | Holding No. | Tola/Mohalla/Road Village/Town/Post Office/Police Station/District. | Name & address of the owner of the premises. | Name of the goods which is generally stored there | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

7. Particulars of any Agency/any other purchasing , selling or distribution agency held by the dealer
(*Attach list separately; if necessary*)
.....
8. Date of Liability
.....
9. Name of Bank/Banks through which transactions are carried out with account number and nature of accounts
.....
10. Telephone/Fax Number/ E-Mail
.....

11. PAN.....

12. Particular relating to registration, license, permit etc. granted under any other law
(*Attach list separately; if necessary*)
.....

**VERIFICATION**

I do hereby declare that the particulars furnished in this application are correct and complete to the best of my knowledge and belief.

Place ..... Signature of the Applicant.....
Date ..... Status.....
Permanent Address .....

**CERTIFICATE**

I .....(full name) certify that the particulars furnished above by the above named applicant is correct & complete and the application has been signed by him in my presence.

Place ..... Signature.....
Date ..... Status/Designation.....

*The application shall be signed by the proprietor of the business, if an individual; by the Karta, if an undivided Hindu family; by an authorized partner in the case of a firm;by the authorized partner in case of a partnership Firm, by a Managing director, Managing agent or Principal Executive Officer in the case of a company or corporation and by the Principal Executive officer-in-charge of in the case of a society, club, association, department of Government or local authority.*
*The certificate shall be given either by a legal practitioner or by a dealer/transporter registered under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 doing business in the same locality or a Municipal Commissioner of the area or a Mukhiya of the Gram Panchayat of the area or a gazetted officer having jurisdiction over the area.*
*No such certificate need be furnished in the case of a Government Department or local authority"*

(2) The following new form ET-IIA shall be inserted after Form ET-II, namely, -

**"Form ET-IIA**
**Certificate of registration under section 5 of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale therein Act, 1993**
[See rule 3(7)]

Office of the **.....** of Commercial Taxes **.....**Circle

This is to Certified that the person or dealer, whose particulars are given below has been registered under Section 5 of Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale therein Act, 1993 and allotted Taxpayer Identification Number is given below:

| | |
|---|---|
| **TIN** | |

2. He is liable to pay tax under the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale therein Act, 1993 with effect from…….

3. Name and style of person or dealer-
4. Permanent Address-
(a) Village/Town.
(b) Mohalla/Tola/Road
(c) Post Office Pin Code
(d) Police Station
(e) District. State
5. Present Address -
(a) Village/Town.
(b) Mohalla/Tola/Road
(c) Post Office Pin Code
(d) Police Station
(e) District. State

6. Legal Status of the person or dealer.....
(*Whether individual/ HUF/Firm/ Company/Society/Club/Association/Government department/ Corporation / undertaking etc.*)
7. Particulars of additional places-

(a) Head office.....
(b) Branch offices .....

8. Complete list and location of the places where goods for delivery are to be stored-

| Sl. No. | Holding No. | Tola/Mohalla/Road Village/Town/Post Office/Police Station/District. | Name & address of the owner of the premises. | Name of the goods which is generally stored there | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Place ..... Signature of Issuing Authority.....
Date ..... Designation .....”
Seal of the Office

(3) The following new forms ET-XIII, ET-XIV, ET-XV, ET-XVI, ET-XVII and ET-XVIII shall be added after Form ET-XII respectively, namely, -

**“Form ET-XIII**
**Statement under section 3AA of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale therein Act, 1993**
[See rule 4AA(3)(i)]

1. Name of the Person/dealer by which the Collection is made……..
2. Address……...
3. Registration No. of the Person/dealer ……
4. Period (Name of Month)……

Part-A

5.Total value of all goods Supplied or delivered in the state of Bihar during the month Rs ……..

6. Deduct (a) Total value of goods other than Scheduled goods Supplied or delivered during the month Rs ……

(b) Total value of Scheduled goods Supplied or delivered to Registered dealer as per part 'B' during the month Rs ……. .

(c) Balance- Total value of scheduled goods Supplied or delivered to unregistered dealer during the month on which tax is payble Rs.…….

7. Details of tax payable-

| **Sl. No.** | **Name of goods** | **Import value** | **Rate of Tax** | **Amount of tax payable** | **Remarks** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | **Total** | | | | |

1. Total amount of Entry Tax admitted as payable Rs.
2. Amount of Entry tax paid (Enclose copy of challan/challans ):-

Part-B

(Details of delivery or supply of Scheduled Goods to registered dealer )

| **Sl. No.** | Name of Importer or Buyer | VAT TIN | Name of Scheduled goods | Cashmemo/Bill/Invoice | | Import Value | No. of form D-IX (Suvidha if any) | Date of delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Date | | | |
| | | | | | | | | |

I declare further that the particular furnished in and with this statement are correct and complete to the best of my knowledge and belief, and that I am competent to sign and submit this return.

Date ..... Signature of the Person/dealer.....

Place ..... Status ……..

**Form ET-XIV**

**Quarterly return under section 3AA of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale therein Act, 1993**

[See rule 4AA(3)(i)]

1. Name of the Person/dealer by which the Collection is made……..
2. Address……..
3. Registration No. of the Person/dealer ……..
4. Period (Name of Quarter)…….

Part-A

5.Total value of all goods Supplied or delivered in the state of Bihar during the Quarter Rs ……..

6. Deduct (a) Total value of goods other than Scheduled goods Supplied or delivered during the Quarter Rs ……

(b) Total value of Scheduled goods Supplied or delivered to Registered dealer as per part 'B' during the Quarter Rs ……. .

(c) Balance- Total value of scheduled goods Supplied or delivered to unregistered dealer during the Quarter on which tax is payble Rs.…….

7. Details of tax payable-

| **Sl. No.** | **Name of goods** | **Import value** | **Rate of Tax** | **Amount of tax payable** | **Remarks** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | **Total** | | | | |

1. Total amount of Entry Tax admitted as payable Rs.
2. Amount of Entry tax paid (Enclose copy of challan/challans ):-

Part-B

(Details of delivery or supply of Scheduled Goods to registered dealer )

| **Sl. No.** | Name of Importer or Buyer | VAT TIN | Name of Scheduled goods | Cashmemo/ Bill/Invoice | | Import Value | No. of form D-IX (Suvidha if any) | Date of delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Date | | | |
| | | | | | | | | |

I declare further that the particular furnished in and with this statement are correct and complete to the best of my knowledge and belief, and that I am competent to sign and submit this return.

Date ..... Signature of the Person/dealer.....

Place ..... Status ……..

**Form ET-XV**

**Annual return for the year…… under section 3AA of the Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale therein Act, 1993**

[See rule 4AA(3)(i)]

1. Name of the Person/dealer by which the collection is made……..
2. Address……..

3. Registration No. of the Person/dealer ……..
4. Period(Name of financial year) ……

Part-A

5.Total value of all goods Supplied or delivered in the state of Bihar during the year Rs ……..

6. Deduct (a) Total value of goods other than Scheduled goods Supplied or delivered Rs ……

(b) Total value of Scheduled goods Supplied or delivered to Registered dealer Rs …… .

(c) Balance- Total value of scheduled goods Supplied or delivered to unregistered dealer during the year on which tax is payble Rs.…….

7. Details of tax payable-

| **Sl. No.** | **Name of goods** | **Import value** | **Rate of Tax** | **Amount of tax payable** | **Remarks** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | **Total** | | | | |

8. Total amount of Entry Tax admitted as payable Rs.
9. Amount of Entry tax paid (Enclose copy of challan/challans ):-
10. Details of challans:-

| Sr. No. | Treasury Challan Number | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Total** | | | |

Part-B

(Details of delivery or supply of Scheduled Goods to registered dealer )

| **Sl. No.** | Name of Importer or Buyer | VAT TIN | Name of Scheduled goods | Cashmemo/ Bill/Invoice | | Import Value | No. of form D-IX (Suvidha if any) | Date of Supply/ delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. | Date | | | |
| | | | | | | | | |

I declare further that the particular furnished in and with this statement are correct and complete to the best of my knowledge and belief, and that I am competent to sign and submit this return.

Date ..... Signature of the Person/dealer.....
Place ..... Status ……

**Form ET-XVI**

**Certificate of Tax Collection** as entry tax at the time of or before delivery of the Scheduled goods under section 3AA of **Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale therein Act, 1993**

[See rule 4AA(3)(ii)]

Bounded Book No.: **.....**
Printed Serial Number :**.....**

1. Name and Address of the Person/dealer making collection **……**
2. Person/ Dealer's TIN **……**
3. Name of the Circle in which the Person/dealer is registered **……**
4. Name and Address of the Buyer/importer from whom collection has been made **……**
5. Name of scheduled goods imported from out side the State **……**
6. Invoice No., Date & value of scheduled goods **……**
7. Import value of the scheduled goods (import value as per Sec.2(e) under the 'Act' ) **……**
8. Rate of Entry tax on above scheduled goods **……**

9. Amount of Tax collected
*In Words*: Rupees..... only

**CERTIFICATE**

Certified that amount of Rs. .....(in words Rupees ..... .....) has been collected on the Bill/Invoice of the scheduled goods imported from outside the State

Place .....Signature of Issuing Authority .....
Date .....Designation .....

Seal of the Office

**Register ET-XVII**

**Register to be maintained under** section 3AA (8)of **Bihar Tax on Entry of Goods into Local Areas for Consumption, Use or Sale therein Act, 1993**
[See rule 4AA(3)(vii)]

**Name of the Person or Dealer:** .....

| Consignor and Consignee | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Date | Name and address of the consignor | CST Regn. No. | Name and Address of the consignee | Taxpayer Identification Number of consignee (if any) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Consignment | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place of dispatch of goods | Destination of Goods | Invoice Number | Date | Description of Goods | Quantity of Goods | Value of Consignment | Freight | Total Import Value | Rate of Entry Tax | Amount of Entry Tax Collected |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| Delivery | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRN/LR No. | GRN/LR Date | D-IX/ C-TAN (SUVIDHA) If any | Bank through which delivery is routed | Date of Delivery of Scheduled goods | Name and Address of person taking delivery | Book No., Sl. No. & Date of ET-XIV Issued |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

ET-XVIII Page-

[Sea Rule4(5)]

Demand, Collection and Balance Register Under The Bihar Tax on Entry of Goods Into Local Areas for Consumption, Use or Sale Therein Act, 1993

Name and style of business-

Registration No.- Financial Year- (Amt.in Rs.)

| | | 1st Qtr | 2nd Qtr | 3rd Qtr | 4th Qtr | Annual | Remark ( if any) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Value of Scheduled Goods on which tax is payable (entry 4 of return- ET-IV/V) | | | | | | | |
| Entry Tax Admitted (entry 5 of return- ET-IV/V) | | | | | | | |
| Tax paid | Challan No. | | | | | | |
| | Date | | | | | | |
| | Amount- | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proceeding Initiated and demand created, if any | Section | | | | | | |
| | Date | | | | | | |
| Assessed tax | | | | | | | |
| Demand notice | No. | | | | | | |
| | Date | | | | | | |
| | Amount of D/N | | | | | | |
| Amount recovered | Challan No. | | | | | | |
| | Date | | | | | | |
| | Amount- | | | | | | |

[(F.No. Bikri-kar/Ankekshan- 01/2015 **-3908**)]

By order of the Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

*Commissioner-cum-Principal Secretary,*

*Commercial Taxes Department.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 837-571+20-डी0टी0पी0।

**Website:** http://egazette.bih.nic.in